# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 158/2024

**उनवान**

नजीबहसन पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान नि0 1527/3 हवाचक्की मौहल्ला, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. शिवलाल पुत्र उगमा,
2. गमला पत्नी उगमा,
3. प्रेम पत्नी भंवरलाल जाति जाट नि. दिलवाडा, नसीराबाद,
4. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956**

—: आदेश :— दिनांक :— 12.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबद के हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान आवेदन पेश किया, जिस पर दिनांक 02.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया तो अपप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान नही करने दिया। अप्राथीगण द्वारा उक्त आराजी पर दखलदांजी की जा रही है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा उकत आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा सीमाज्ञान के लिये राजस्व कार्मिको की टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा दिनांक 12.04.2024 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान किया गया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थी के कथनों का खण्डन नही किया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण अपनी

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थी पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबद के हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested